न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील संख्याः–121/2015 (2015/000019)223/नसीराबाद

1. महावीर प्रसाद पुत्र स्व. श्री जयनारायण जाति माहेश्वरी (मृतक) जरिये वारिसान
   1/1 सर्वेश्वर माहेश्वरी
   1/2 योगेश्वर माहेश्वरी जाति माहेश्वरी मूल रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर हाल 555/9 राजेन्द्रपुरा
   गली नम्बर 2 हाथीभाटा, अजमेर।
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री मदनलाल जाति शर्मा निवासी रामसर।
3. रामनिवासी पुत्र स्व. बिरदीचन्द टेलर निवासी रामसर
4. किशनगोपाल पुत्र स्व. भूराराम टेलर निवासी रामसर
5. सत्यनारायण पुत्र स्व. चांदमल लोंगड निवासी रामसर
6. छीतरमल पुत्र स्व. खाजू जाति रेगर निवासी रामसर
7. ओमप्रकाश पुत्र स्व. सुवालाल जाति माहेश्वरी निवासी रामसर
8. ओमप्रकाश पुत्र स्व. कन्हैयालाल निवासी चतुर्वेदी निवासी रामसर
9. सुभाष पुत्र श्री रामस्वरूप निवासी कांकाणी निवासी रामसर
10. रतनलाल पुत्र स्व. भजनलाल माहेश्वरी निवासी रामसर

अपीलांट

बनाम

1. गोपीपुरूषोतम दत्त शर्मा पुत्र गोपीकिशन जी शर्मा निवासी रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर मृतक जरिये वारिसानः–
   1/1. जानकीदेवी शर्मा पत्नी स्व. गोपी पुरूषोतम दत्त शर्मा
   1/2. राजेश शर्मा पुत्र स्व. गोपी पुरूषोतम दत्त शर्मा
   1/3 दिनेश शर्मा पुत्र स्व. गोपी पुरूषोत्तम दत्त शर्मा निवासीगण एन–31, राजस्थान आवासन मण्डल के पीछे, सागर विहार कालोनी, वैशाली नगर, अजमेर
2. प्रभात पुत्र स्वर्गीय गोपी किशन जाति आचार्य दाधीच ब्राहमण निवासी हाल अजमेर।
3. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्तकारी अधिनियम 1955 के आदेश दिनांक 28.02.2003, राजस्व वाद संख्या 88/1995 विरूद्ध सहायक कलक्टर, ब्यावर।

उपस्थितः–

1. श्री मुकेश जैन एड़वोकेट अपीलांट की ओर से।
2. श्री शंकरलाल चौधरी एडवोकेट रेस्पोडेन्ट 1/1 से 1/3 की ओर से।
3. श्री सी.पी.शर्मा एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से
4. श्री धर्मवीर चौधरी राजकीय अभिभाषक रेस्पो. संख्या 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 08.02.2019

01. अपीलांट ने यह अपील सहायक कलक्टर, (उपखण्ड अधिकारी) नसीराबाद के निर्णय एंव डिक्री दिनांक 28.02.2003, राजस्व वाद संख्या 88/1995 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/ वादी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के न्यायालय मे एक वाद अन्तर्गत 88, 92ए एवं 188 राज. काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद की कृषि भूमि खाता संख्या पुराना 886 जिनके खसरा संख्या पुराना 3340 रकबा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

4 बीघा जिसके हाल नवीन खसरा संख्या 3539 किस्म आबी दर्ज है। जो कि वादी/रेस्पोडेन्ट की मौरूसी पेतृक खातेदारी की कृषि भूमि है जिस पर पुश्तैनी समय से मौके पर वादी के पुरखो द्वारा समय समय पर काश्त करते आये है। वादी अपने पिता के स्वर्गवास होने के पश्चात काबिज काश्त चला आ रहा है लेकिन प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 2 वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त आराजी से बेदखल करने की धमकी दे रहा है। प्रतिवादी को पाबंद किया जावे। वाद दर्ज किये जाने पर प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया। न्यायालय ने वाद की सुनवाई के पश्चात दावे एंव जवाब दावे के आधार पर सात तनकियात निर्मित की किन्तु तनकीवाइस निर्णय किये बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी का वाद दिनांक 28–02–2003 को बिलाधिकार रूपसे डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट चूंकि गांव के व्यक्ति है उनके द्वारा तहसीलदार के अलावा ग्राम पंचायत को निवेदन किया गया कि आबी की आराजी सरकारी जमीन होने के बावजूद और शमशान के लिए प्रयुक्त होने वाली आराजी के सम्बंध मे कार्यवाही करे। किन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई। निर्णय दिनांक 28–02–2003 का इल्म अपीलार्थीगण को 04–07–2004 से पूर्व नही था क्योकि न तो वे तहत न्यायालय के समक्ष पक्षकार थे और ना ही उक्त वाद को उनको पता था। इसलिए इस माननीय न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण व्यथित होकर अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र बाबत प्रस्तुत किये जाने अपील की अनुमति हेतु के साथ उक्त अपील प्रस्तुत कर रहे है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय दिनांक 28.02.2003 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की हैं।

03. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 2 की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए, तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

04. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनें अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में जाहिर किया कि अपीलाधीन भूमि सरकरी भूमि है और राजस्व रेकार्ड में आबी –2 दर्ज हैं। उक्त भूमि पर पानी का भराव होता है और उक्त भूमि में से 1 बीघा भूमि जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 29.07.1989 से श्मशान के लिए आरक्षित की गई थी ऐसी भूमि जो कि जन उपयोग के कार्य के लिए ली जा सकती है किसी भी रूप में व्यक्ति विशेष को खातेदारी में नही दी जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र खसरा गिरदावरी के आधार पर रेस्पोडेन्ट/वादी का वाद डिक्री कर दिया उनके द्वारा रिकार्ड ऑफ राईट यानी जमाबंदी आदि डोक्यूमेन्टरी एविडेन्स कतई प्रस्तुत नही किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने सार्वजनिक उपयोग की भूमि को गलत रूप से खातेदारी प्रदान कर दी है जबकि रेस्पोडेन्ट का प्रथम दृष्टया प्रकरण उक्त आराजी पर साबित नही होता हैं। अपीलाधीन भूमि सार्वजनिक उपयोग की होने के कारण प्रार्थीगण/अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. प्रस्तुत किया हैं जिसें स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावे। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है एवं अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी विलम्ब से हुई। अपील जानकारी के अनुसार अन्दर मियाद पेश की जा रही है न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार की जावे। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय दिनांक 28.02.2003 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 ने दौराने जवाब अपील में निवेदन किया कि विवादित आराजी खाता संख्या पुराना 886 जिसके खसरा नम्बर पुराना 3335 जो कि फसली जमाबंदी 1363 सन् 1952 के अनुसार वादी के स्वर्गीय पिता की मौरूसी खातेदारी की भूमि थी जिसका इन्द्राज राजस्व रेकार्ड के अनुसार वादी के नाम इन्द्राज चला आ रहा हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 4 के अनुसार भी वादी उसके पिता के समय से खातेदार

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

कृषक था तत्पश्चात, अजमेर जिले में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो कि दिनांक 15.11.1958 को लागू किया गया उससे पूर्व एवं उसके बाद निरन्तर काबिज चले आ रहे हैं इस प्रकार राज.काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 व 19 के अनुसार भी वादी की जिसकी मौरूसी कृषि भूमि है का कानूनी खातेदार कृषक था। अभिभाषक अपीलांट का यह कथन कि विवादित भूमि में से 01 बीघा भूमि श्मसान हेतु आरक्षित थी अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 05 व 6 में यह स्पष्ट किया है कि रामसर की आबादी अनुसार पर्याप्त श्मसान है वर्किंग जमाबंदी में पेन्सिल से नोट लगा रखा है लेकिन दस्तखत नहीं है और आदेश की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत नही की है। विवादित भूमि कभी भी सार्वजनिक उपयोग–उपभोग की नही रही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया हैं जो विधि सम्मत हैं। न्यायालय न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्धान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया।

7 सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. का निस्तारण करना उचित समझते हैं। अभिभाषक उभयपक्षकरान द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती हैं।

8. तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं। अभिभाषक उभयपक्षकरान द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9. उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट ने विवादित आराजी सार्वजनिक होने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और न्यायालय की पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात में भी विवादित आराजी कभी भी सावर्जनिक उपयोग की रही हों ऐसा कोई दस्तावेज नहीं हैं। वादीगण एवं उनके पूर्वजों का कब्जा काश्त होने एवं कब्जे बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए तनकीयात कायम कर, प्रत्येक तनकी का विवेचन कर निर्णय पारित किया हैं जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य पायी जाती हैं।

10 अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय दिनांक 28.02.2003 यथावत् रखा जाता हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

8/2/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

11 . आदेश आज दिनाक 08.02.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

8/2/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर